

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 378 सन 2019

अनवान :-

1. सोहनलाल शर्मा पुत्र रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रमेश्वरी पुत्री मालाराम पत्नि रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्तोष पुत्री रामचन्द्र पत्नि जोराराम जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर
3. जगदीश 4 पवन कुमार 5 कृष्ण कुमार पि० रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 बारानी के प०न० 94/82 की कुल 6.1990हैक्ठ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मालाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की माता/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने काश्त की सूविधा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मालाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से

54/2019 (राजस्व)

नोहर

प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,जो वादी की माता /बहन ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिन्होने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 94/82 की कुल 6.1990हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मालाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की माता/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने काश्त की सूविधा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 94/82 की कुल 6.1990हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि मालाराम को आवटित की गई थी एवं मालाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मालाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जो वादी की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 94/82 की कुल 6.1990हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 सोहनलाल रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प0न0 350/435(44) 2 मिन पूर्व की 0.164 , 9 मिन पूर्व 0.191 ,12 मिन पूर्व 0.192 ,19 मिन पूर्व 0.191 ,22 मिन पूर्व की 0.192 ,3 मिन पश्चिम की 0.114 ,8 मिन पश्चिम की 0.126 ,13मिन पश्चिम की 0.126 , 18 मिन पश्चिम की 0.127 ,23 मिन पश्चिम की 0.126 , कुल 1.550हैक् भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प0न0 350/435 (44) किला न0 1/0.2270 ,10/0.253 ,11/0.253 ,20/0.253 ,21/0.253 ,2 मिन पश्चिम की 0.064 ,9 मिन पश्चिम की 0.062 ,12 मिन पश्चिम की 0.061हैक् 19 मिन पश्चिम की 0.062 ,22 मिन पश्चिम की 0.061 कुल 1.549हैक् भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 4 पवन कुमार रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प0न0 350/435(44) मिन पूर्व की 0.114 ,8 मिन पूर्व की 0.127 , 13 मिन पूर्व की 0.127 ,18 मिन पूर्व की 0.126 , 23 मिन की पूर्व की 0.127 ,4 मिन पश्चिम की 0.164 ,7 मिन पश्चिम की 0.192 ,14 मिन पश्चिम की 0.191 ,17 मिन पश्चिम की 0.192 , 24 मिन पश्चिम की 0.191 , कुल 1.550हैक् व प्रतिवादी संख्या 5 कृष्ण कुमार रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प0न0 350/435 (44) किला न0 4 मिन पूर्व 0.064 ,5/0.228 ,6/0.253 ,7 मिन पूर्व 0.061 , 14 मिन पूर्व 0.062 ,15/0.253 ,16/0.253 ,17 मिन पूर्व की 0.061 , 24 मिन पूर्व की 0.062 ,25/0.253 ,कुल 1.550हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सोहनलाल शर्मा पुत्र रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 प्रमेश्वरी पुत्री मालराम पत्नि रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 सन्तोष पुत्री रामचन्द्र पत्नि जोराराम जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर
- 3 जगदीश 4 पवन कुमार 5 कृष्ण कुमार पि० रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 378 सन 2019 निर्णय दिनांक- 29/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के प०न० 94/82 की कुल 6.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 सोहनलाल रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प०न० 350/435(44) 2 मिन पूर्व की 0.164 , 9 मिन पूर्व 0.191 ,12 मिन पूर्व 0.192 ,19 मिन पूर्व 0.191 ,22 मिन पूर्व की 0.192 ,3 मिन पश्चिम की 0.114 ,8 मिन पश्चिम की 0.126 ,13मिन पश्चिम की 0.126 , 18 मिन पश्चिम की 0.127 ,23 मिन पश्चिम की 0.126 , कुल 1.550हैक भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प०न० 350/435 (44) किला न० 1/0.2270 ,10/0.253 ,11/0.253 ,20/0.253 ,21/0.253 ,2 मिन पश्चिम की 0.064 ,9 मिन पश्चिम की 0.062 ,12 मिन पश्चिम की 0.061हैक 19 मिन पश्चिम की 0.062 ,22 मिन पश्चिम की 0.061 कुल 1.549हैक भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 4 पवन कुमार रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प०न० 350/435(44) मिन पूर्व की 0.114 ,8 मिन पूर्व की 0.127 , 13 मिन पूर्व की 0.127 ,18 मिन पूर्व की 0.126 , 23 मिन पूर्व की 0.127 ,4 मिन पश्चिम की 0.164 ,7 मिन पश्चिम की 0.192 ,14 मिन पश्चिम की 0.191 ,17 मिन पश्चिम की 0.192 , 24 मिन पश्चिम की 0.191 , कुल 1.550हैक व प्रतिवादी संख्या 5 कृष्ण कुमार रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 94/82 के प०न० 350/435 (44) किला न० 4 मिन पूर्व 0.064 ,5/0.228 ,6/0.253 ,7 मिन पूर्व 0.061 , 14 मिन पूर्व 0.062 ,15/0.253 ,16/0.253 ,17 मिन पूर्व की 0.061 , 24 मिन पूर्व की 0.062 ,25/0.253 ,कुल 1.550हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)